प्राथमिक शिक्षा निदेशालय,
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–15459/2014 में दिनांक–05.12.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है।

उक्त न्यायादेश के लगभग साढ़े चार वर्ष बाद भी सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र का फोल्डर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निगरानी विभाग को जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चिंतनीय है। तद्क्रम में ऐसे शिक्षक, जिनके प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अद्यावधि उपलब्ध नहीं कराया गया है, के प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए अंतिम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा एक वेब–पोर्टल तैयार किया गया है। **इस वेब–पोर्टल पर जिलावार वैसे शिक्षकों की सूची अपलोड की गई है जिनके नियुक्ति से संबंधित सभी अभिलेख जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।**

अतः पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/educationbihar/CitizenHome.html पर उपलब्ध https://appsonline.bih. nic.in/ लिंक के माध्यम से जिलावार अपलोड किये गये शिक्षकों के नाम की सूची का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। उक्त सूची में जिस शिक्षक का नाम अंकित है, वे उसी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के उपरांत प्राप्त User Id एवं Password से Log-in कर पोर्टल में उपलब्ध प्रपत्र में आवश्यक सूचना का अंकन करते हुए प्रपत्र में अंकित मूल प्रमाण पत्रों यथा मैट्रिक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, दक्षता परीक्षा अथवा टी॰ ई॰ टी॰ उर्त्तीणता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (20 प्रतिशत वेटेज हेतु), मेधासूची, नियुक्ति पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का Scan Copy दिनांक–21.06.2021 से 20.07.2021 तक की अवधि में निश्चित रूप से अपलोड करेंगे। अंकनीय है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो संबंधित शिक्षक याचित अभिलेखों की प्रति वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनके संबंध में माना जायेगा कि उन्हें, उनकी नियुक्ति की वैधता के संदर्भ में कुछ नहीं कहना है तथा उनकी नियुक्ति को प्रथम दृष्ट्या अवैध/अनियमित मानते हुए नियमानुसार संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके द्वारा नियत वेतन/वेतनमान के रूप में प्राप्त राशि की वसूली लोकमांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत कर दी जायेगी।

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

PR- 02501 (Education) 2021-22

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 24X7 Toll Free No.: 104 पर संपर्क कर सकते हैं।